पत्रांक : 5/वि 1–15/12/500

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
उच्च शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

रांची, दिनांक : [illegible]

विषय : [illegible] शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, [illegible], हजारीबाग को बी॰एड॰ कोर्स संचालित करने हेतु शैक्षणिक सत्र 2012–13 के लिए अस्थायी सम्बन्धन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2090 दिनांक 02.12.12 एवं NCTE, भुवनेश्वर के पत्रांक ERC/7-138.6.3/NCTE/B.Ed/2012/12751 दिनांक 31.07.2012 एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने [illegible] शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, [illegible], हजारीबाग को बी॰एड॰ कोर्स संचालित करने हेतु शैक्षणिक सत्र 2012–2013 के लिए अस्थायी सम्बन्धन निम्न शर्तों के साथ सशर्त स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है–

(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की [illegible] रद्द करने अथवा वापस लेने की स्थिति में यह अस्थायी सम्बन्धन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर के पत्रांक ERC/7-138.6.3/NCTE/B.Ed/2012/12751 दिनांक 31.07.2012 में निहित सभी शर्तों को [illegible] करना होगा।

(ग) [illegible] विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि [illegible] सम्बन्धन/मान्यता [illegible] कि महाविद्यालय एन॰सी॰टी॰ई॰ द्वारा निर्धारित भूमि, भवन [illegible] करता है।

(घ) [illegible] बी॰एड॰ प्रशिक्षण [illegible] तो सम्बन्धन/मान्यता [illegible] लिया जायेगा।

(ङ) एन॰सी॰टी॰ई॰ द्वारा निर्धारित 200 दिवस [illegible] विश्वविद्यालय, महाविद्यालय [illegible] को विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देगा।

(च) छात्रों के नामांकन में एन॰सी॰टी॰ई॰, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड का [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] निर्धारित प्रक्रिया [illegible] महाविद्यालय [illegible] करता है।

(छ) शिक्षकों की नियुक्ति [illegible] प्रक्रिया एवं सभी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार हुआ हो।

(ज) महाविद्यालय [illegible] की अनुमति [illegible] हेतु छात्रों का नामांकन नहीं करेगा।

विश्वासभाजक

ह०/–

सरकार के उप सचिव

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापांक : वि॰भा॰वि॰/[illegible]/ 631 /2012 दिनांक : 8/5/12

प्रतिलिपि –

1. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ।
2. विशेष कार्य पदाधिकारी (महाविद्यालय), राजभवन सचिवालय, रांची।
3. सरकार के उप सचिव, झारखण्ड सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, रांची।
4. परीक्षा नियंत्रक, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।
5. [illegible] प्रभारी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।
6. निजी सहायक कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्तीय सलाहकार/कुलसचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय को सूचनार्थ।

ह० [illegible] 8/5/12

कुलसचिव

[illegible] 8/5/12

D:\[illegible]